न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 156/2017 दायरा दिनांक : 27.11.2017

उनवान

मुर्करम खातून पुत्री हाजी हमीद शेर खां पत्नी मोहम्मद जमीर खां जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला गोल बडा कस्साबान टोंक जिला टोंक

1/1– शाहिबा उर्फ शब्बो पुत्री (माता मुर्करम खातून) मोहम्मद जमीर खां पत्नी मोहम्मद फरीद

1/2 राना खातून पुत्री मुर्करम खातून पिता मोहम्मद जमीर खां पत्नी मोहम्मद असलम

1/3 नर्गिस पुत्री मुर्करम खातून पिता मोहम्मद जमीर खां

1/4 यासमीन सुलतान पुत्री मुर्करम खातून पिता मोहम्मद जमीर खां

1/5 गिजाला परवीन पुत्री मुर्करम खातून पिता मोहम्मद जमीर खां पत्नी नफीस खां जाति मुसलमान निवासीगण टोंक जिला टोंक

.... अपीलांट

बनाम

1– मेहमूद शेरखां आदिल पुत्र हाजी हमीद शेर खां जाति मुसलमान निवासी टोंक

2– उपपंजीयक तहसील पिडावा जिला झालावाड राज0

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 16.03.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या — 2/2012/प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 14.11.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थिया एवं अप्रार्थी के पिता हाजी हमीद शेर खां के कब्जे काश्त की कृषि भूमि मुताबिक नकल जमाबंदी सम्वत 2065—68 खाता संख्या नया 249 पुरानी 236 में खसरा नबर 10 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 11 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 37 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 38 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 39 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 44 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 45 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 12 बीघा, खसरा नम्बर 49 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 12 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 47 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 48 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 56 बीघा वाके ग्राम रोशनबाडी तहसील पिडावा में स्थित है । प्रार्थिया एवं अप्रार्थी आपस में सगे भाई बहन है । हाजी हमीद शेर खां के प्रार्थिया एवं अप्रार्थी के अलावा एक पुत्री मुख्तार जहां थी जो ला औलाद फौत हो चुकी है । राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से सम्पूर्ण आराजी अप्रार्थी के खाते दर्ज की है जबकि मुस्लिम विधि के अनुसार प्रार्थिया

का इसमें 1/3 हिस्सा निहित है । प्रार्थिया 1/3 हिस्से की खातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है जिस पर वो काबिज काश्त है । अप्रार्थी को पाबन्द किया जाये कि प्रार्थिया के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें और वादग्रस्त आराजी का रहन बेचान न करे । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर अपने निर्णय दिनांक 14.11.2017 से प्रार्थना पत्र प्रार्थिया खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील प्रार्थिया के विधिक वारिसान के द्वारा अपील पेश की गई है और यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थिया के पिता के खाते की थी जिनका स्वर्गवास 22 साल पूर्व हो चुका है । अप्रार्थी नम्बर 1 ने एक वसीयत का सहारा लेकर वादग्रस्त आराजी अपने खाते दर्ज करा लिया है जबकि प्रार्थिया का इसमें 1/3 हिस्सा निहित है जिसमें वह काबिज है । अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के खिलाफ निर्णय पारित किया है । वसीयत पंजीकृत नहीं है और न ही प्रमाणित है । अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है, इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण मुकर्रम खातून जिनके द्वारा हक घोषणा का दावा एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था के वारिस है । वादग्रस्त आराजी हाजी हमीद शेर खां की थी जो मुकर्रम खातून के वालिद है । उनकी एक पुत्री मुख्तार जहां ला औलाद फौत हो चुकी है । अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा निहित है और रेस्पोडेंट का 2/3 हिस्सा । रेस्पोडेंट ने तथाकथित वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी अपने नाम करवायी है जबकि मुस्लिम विधि के अनुसार वसीयत 1/3 हिस्से की जा सकती है, उससे अधिक की नहीं । खातेदार की मृत्यु सन् 1989 में हुई है । नामान्तरकरण 2011 में खुला है । वसीयत प्रमाणित नहीं है, जबकि लेण्ड रेकार्ड के नियम 132 के अनुसार पंजीकृत वसीयत के आधार पर ही तहसीलदार के द्वारा नामान्तरकरण खोला जा सकता है, इसके अभाव में दावा किया जाना अनिवार्य है । मुकर्रम खातून की मृत्यु दिनांक 25.02.2012 को हुई है । पिता की मृत्यु एवं उसके पश्चात जब इंतकाल खुला तब वह जीवित थी । मुस्लिम विधि के अनुसार अपीलांटगण 1/3 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2016–17 सप्लीमेंट्री पेज 55, आर एल डब्ल्यू 2015 (1) पेज 450, आर आर डी 1996 पेज 90 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2065–68 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी हाजी हमीद शेर खां के खाते में दर्ज है और उसमें नामान्तरकरण संख्या 617 का हवाला है जिसके अनुसार आराजी रेस्पोडेंट के खाते में दर्ज हुई है । मुकर्रम खातून की मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति सलंग्न है, जिसके अनुसार मुकर्रम खातून की मृत्यु दिनांक 25.02.2012 को हुई है । अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में बिन्दु संख्या 3 में पेश किये गये पारिवारिक शजरे को स्वीकार किया है और मुख्य रूप से अपने पक्ष में की गयी वसीयत का हवाला दिया है । वादग्रस्त आराजी हाजी हमीद

शेर खां की है और उनकी मृत्यु के समय उनकी पुत्री मुकर्रम खातून जीवित थी और मुस्लिम विधि के अनुसार वादग्रस्त आराजी में प्रथम दृष्टया उनका 1/3 हिस्सा निहित था । अप्रार्थी स्वयं के पक्ष में वसीयत का निष्पादन होना बताते हैं, परन्तु इस वसीयत का मुस्लिम विधि के अनुसार पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व पर क्या प्रभाव पडेगा यह मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होगा, इस स्टेज पर नहीं । इस स्टेज पर वादग्रस्त आराजी में प्रथम दृष्टया अपीलांट का 1/3 हिस्सा निहित होना पाया जाता है, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी उनके पक्ष में है । अतः हम अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा वादग्रस्त आराजी में अपीलांटगण के 1/3 हिस्से की सीमा तक रहन, बेचान या अन्यथा अन्तरण न करने हेतु पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर विधिक त्रुटि की है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी में अपीलांटगण के प्रथम दृष्टया निहित 1/3 हिस्से का रहन, बेचान या अन्यथा मुन्तकिल न करें ।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा